न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 37 / 2006

RCMS Case No. 2006/00001

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भीमसिंह दत्तक पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 अर्जुनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मांडा हाल निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन 2 ग्राम पंचायत दूदौड़ तहसील मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महेश नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/02/2018

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 17 / 1988–1989 में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक ..... एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया, जिसका ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं था। इसी भूमि का पूर्व में पट्टा प्रार्थी के पिता बाघसिंह के नाम से दिनांक 01.03. 1959 को जारी हो चुका है। इस प्रकार एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। जिस समय अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, उस समय अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा ही नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई प्रस्ताव पारित किए ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जबकि विधि का यह सिद्धान्त है कि ग्राम पंचायत कोरम की बैठक में पारित आज्ञा के आधार पर ही कोई भी कार्यवाही विधि मान्य होती है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत कोरम द्वारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उक्त जैर निगरानी आज्ञा जारी ही नहीं की गई, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा आरम्भ से ही शून्य प्रभावी पाया जाता है। जैर निगरानी पट्टे पर न तो भुजाओं का नाप अंकित है तथा न ही पैमाना अंकित है। मिसल में नियम 258 के तहत 3 पंचों द्वारा मौके पर जाकर मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा न ही विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रक्रिया की पालना नहीं की, न तो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया एवं न ही चस्पा किया गया। जैर निगरानी पट्टा 251/– रूपये में जारी किया गया है, उक्त कीमत किस आधार पर तय की गई, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थी के पिता का मकान बना हुआ है, जिसका पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम से जारी हो चुका है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थी की माता ने उक्त समस्त सम्पति प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.12.1979 को वसीयत की थी। जिसके आधार पर जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर निर्मित मकान का प्रार्थी मालिक बना। प्रार्थी के पिता गांव के ठाकुर थे तथा प्रार्थी की माता के साथ अप्रार्थी संख्या 1 की सास कस्तूरीबाई डायजावाल के रूप में काम करने हेतु भेजी गई थी, जो प्रार्थी के पिता के घर में ही रहती थी। इसके पश्चात प्रार्थी के पिता ने कस्तूरीबाई का विवाह दुदौड के भानाराम से करवाया, जो विच्छेद होने के पश्चात कस्तूरीबाई का विवाह बाड़सा निवासी देवाराम से करवाया, जिसके साथ रहवास सहवास से अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि का जन्म हुआ। देवाराम से सम्बन्ध विच्छेद होने के पश्चात पुनः प्रार्थी के पिता के पास आ गई, जिसे अस्थाई निवास हेतु उक्त मकान में रहने दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि मांडा में निवास करती है। जो कस्तूरीबाई फौत होने पर दुदौड आये थे, किन्तु मकान खाली नहीं किया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने जाहिर किया कि उक्त भूमि का वसीयतनामा कस्तूरीबाई द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के पक्ष में निष्पादित किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि का पट्टा स्वयं के नाम ग्राम पंचायत से जारी करवाया है। इस पर प्रार्थी ने वसीयतनामे को निरस्त कराने हेतु पृथक से वाद प्रस्तुत किया तथा जैर निगरानी पट्टा अपास्त कराने हेतु यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। कानूनन इस भूमि का पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम पट्टा जारी हो चुका है तथा उसी भूमि पर दुबारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा वर्ष 1988 में जारी किया गया है, जिसे लगभग 25 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। पट्टा जारी करने के 25 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कारण प्रार्थी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है, इसके कारण निगरानी म्याद बाहर होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद/अपील/निगरानी का निर्णय करने से पूर्व म्याद के बिन्दु को निर्णित करना आवश्यक है। यह निगरानी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है, इस कारण निगरानी खारिज की जावे। ग्राम पंचातय द्वारा विधि में प्रदत्त नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। मात्र ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पट्टे की प्रक्रिया को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है तथा न ही ग्राम पंचायत में रेकर्ड न होने का दोषारोपण अप्रार्थी पर किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 17/1988–1989 में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक ..... एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.07.2017 के जरिये अवगत कराया कि सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्व ग्राम सेवक द्वारा जैर निगरानी मिसल प्रस्तुत की है। जैर निगरानी मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत दुदौड के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 29.12.1987 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर जो मिसल कायम की गई, उसकी प्रथम आदेशिका दिनांक 30.11.1986 को लिखी गई है, जिसमें कोर्ट फीस व नक्शा फीस लेकर मिसल तैयार करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात मिसल दिनांक 15.12.1986 को प्रस्तुत हुई, जिसमें अंकित किया कि नक्शा बना दिया गया है, अगली बैठक में पंचो द्वारा मौका देख कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मिसल के संलग्न जो नक्शा प्रस्तुत किया है, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, इससे यह साबित होता है कि उक्त नक्शा ग्राम सेवक द्वारा नहीं बनाया गया है, जो आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 15.01.1987 को प्रस्तुत हुई, जिसमें मौका निरीक्षण रिपोर्ट सामिल मिसल करने एवं एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर एकमात्र पंच मोहनसिंह के ही हस्ताक्षर है, जबकि कानूनन तीन पंचों द्वारा निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 15.02.1987 को प्रस्तुत हुई, जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर वांछित भूमि को पुश्तैनी मानते हुए दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 15.9.1987 की दिनांक अंकित करते हुए दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किया जाना एवं मिसल भूमि मूल्यांकन हेतु पेश करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात मिसल दिनांक 15.04.1988 को प्रस्तुत होने पर नियम 266 के अन्तर्गत आपसी बातचीत से पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।

जैर निगरानी मिसल के अवलोकन पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उस पर दिनांक 29.12.1987 अंकित है तथा इस आवेदन पर मिसल दिनांक 30.11.1986 को कायम करते हुए कार्यवाही की जाती है, यह तथ्य समर्थन योग्य नहीं है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही मिसल कायम की जाकर कार्यवाही आरम्भ कर दी जावे। यह तथ्य प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की प्रक्रिया को दूषित करता है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को किसी भी रूप में न्यायोचित नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 17/1988–1989 में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक ..... एवं उसकी पालना में

अति. जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

यह निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली